

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 617

दिनांक :- 1.7.2022

मुकदमा नंबर 217/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. जेहाराम पुत्र मंगाराम 2. रायचन्द पुत्र मंगाराम 3. चिमाराम पुत्र मंगाराम 4. मोटाराम पुत्र मंगाराम 5. रामा पुत्र प्रहलाद 6. दोला पुत्र प्रहलाद 7. पाबूराम पुत्र प्रहलाद 8. गंगादेवी बेवा प्रहलाद 9. रामा पुत्र कला 10. डालु पुत्र कला 11. माडुदेवी बेवा कलाराम सभी जातियान जाट निवसीयान भीमरलाई स्टेशन तह0 पचपदरा जिला बाडमेर -जिला (राज) 		<ol style="list-style-type: none"> 1. गंगाराम पुत्र मोटाराम 2. पुरखाराम पुत्र मोटाराम 3. मांगी पुत्र मोटाराम 4. वीरो पुत्री मोटाराम 5. भूराराम पुत्री मोटाराम 6. सदाराम पुत्र लुम्बाराम 7. वालाराम पुत्र लुम्बाराम 8. रामचन्द पुत्र जेठाराम 9. मलाराम पुत्र जेठाराम 10. कुंभाराम पुत्र जेठाराम 11. रतनलाल पुत्र सदाराम 12. हरखाराम पुत्र किशनलाल 13. हरिराम पुत्र किशनलाल 14. गणपत पुत्र किशनलाल 15. राजूराम पुत्र भगवानाराम 16. अमराराम पुत्र आदूराम 17. गोमाराम पुत्र आदूराम 18. नेनाराम पुत्र आदूराम 19. तुलसाराम पुत्र आदूराम 20. भोमा पुत्र हेमाराम 21. अमराराम पुत्र हेमाराम 22. हीराराम पुत्र हेमाराम 23. नरसिंगाराम पुत्र हेमाराम 24. मेहराराम पुत्र हेमाराम 25. चैनाराम पुत्र हेमाराम 26. गुलाराम पुत्र हेमाराम 27. वीराराम पुत्र भूराराम 28. जुगताराम पुत्र भूराराम 29. अणसी देवी पत्नी भूराराम 30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।



आदेश

दिनांक :- 01.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भीमारलाई स्टेशन पटवारी क्षेत्र खट्टू, भू-निरीक्षक दूधवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 382 रकबा 0-07 बीघा किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 383 रकबा 48-15 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 385 रकबा 31-03 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 80-05 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की



हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो
सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।




क्रमांक /रीडर/ 2022/ 617

(निदेशाधीन)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बालोतरा
(SDO) बालोतरा

दिनांक :- 1.8.22

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित
करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या
व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड बालोतरा
(SDO) बालोतरा